केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय निदेशालय, पिकप भवन
विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष- 0522 4087600, फैक्स 0522-4087602
ईमेल: lucknow.cpcb@gmail.com

फा. सं. आरडीएल/ प्रशा./ सुरक्षा सेवा/59/ 146 | 26 जून, 2019

ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी नियुक्त करने के लिए ई- निविदा

महोदय / महोदया,

1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी)) क्षेत्रीय निदेशालय, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 (यू.पी.) एवं इसके अंतर्गत परियोजना कार्यालय, 04 धौलपुर हाउस, एम.जी. रोड, आगरा हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेजेज के आधार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी की नियुक्ति हेतु एकल स्तर पर दो बोली प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता निम्नानुसार है-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	गार्डों की संख्या
1.	क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ	15
2.	परियोजना कार्यालय, आगरा	12

2. निविदाएं केवल केंद्रीय पब्लिक प्रोक्योर्मेंट पोर्टल (CPPP) पर https://eprocure.gov.in/eprocure/app की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड की जायें। निविदा दस्तावेजों को 100 डीपीआई के साथ ब्लैक एंड ब्हाइट विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ के आकार को कम करने में मदद करता है। एक सेवा प्रदाता कम्पनी के द्वारा एक से अधिक निविदाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं।

3. निविदाकर्ता सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) वेबसाइट https://eprocure.gov.in अथवा eprocure / app से निविदा सूचना, BOQ Sheet एवं अन्य विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए निविदा फॉर्म तथा BOQ sheet को किसी भी तरीके से संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। BOQ sheet में निविदाकर्ता केवल फर्म का नाम व पता एवं वित्तीय निविदा दर्ज करेगा। मूल्य बोली टेम्पलेट में यदि किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ या संशोधन पाया गया तो निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा जमा करने की समाप्ति तिथि तक निविदा आमंत्रण सूचना में किसी भी शुद्धिपत्र /परिशिष्ट /संशोधन के लिए https://eprocure.gov.in/ ई-खरीद / ऐप वेबसाइट पर सीपीपीपी पोर्टल को नियमित रूप से देखें।

5. निविदा दस्तावेज सीपीसीबी वेबसाइट www.cpcb.nic.in या सीपीपीपी साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app से महत्वपूर्ण तिथि पत्रक (क्रिटिकल डेट शीट) में दिये गये विवरण के अनुसार डाउनलोड, अपलोड तथा आवश्यकतानुसार कार्यालय को हार्ड कॉपी का प्रेषण किया जाना है, जो निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निविदा के संदर्भ में महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण	दिन	माह	वर्ष	घं.	मिनट
1.	प्रकाशन की तिथि	27	06	2019	18	00
2.	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि	28	06	2019	-	-
3.	निविदा दस्तावेज जमा करने की प्रारंभ तिथि	28	06	2019	-	-
4.	निविदा दस्तावेज जमा करने की समाप्ति तिथि	26	07	2019	16	00
5.	निविदा दस्तावेज खोलने की तिथि	29	07	2019	16	00
6.	निविदा दस्तावेज खोलने का पता	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय, पिकप भवन विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ - 226010				

6. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाये जैसे तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा। सुरक्षा सेवा हेतु **नियम व शर्त** अनुलग्नक - I में दी गयी हैं। वित्तीय निविदा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेजेज के आधार पर अपलोड किये गये बीओक्यू एक्सल शीट में वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जानी है। निविदाकर्ता द्वारा निविदा अपलोड करने के पहले संलग्न सभी आवश्यक दस्तावेज़ों इत्यादि पर हस्ताक्षर तथा पेज नं. अंकित किया जाना चाहिए तथा सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जानी है, फैक्स / ईमेल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. ई-पोर्टल पर अपलोड की गयी निविदा के सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी निविदाकर्ता द्वारा स्वयं अथवा डाक द्वारा इस कार्यालय में ऊपर लिखे पते पर क्रिटिकल डेट शीट के शेड्यूल में उल्लिखित अंतिम तिथि से पहले पहुँच जानी चाहिए। निविदा के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से निविदा क्रमांक आरडीएल/ प्रशा./59/ई-टेडरिंग/ सुरक्षा सेवा/ लिखा जाये।

8. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री गोविंद भगत, प्रशासनिक अधिकारी, सीपीसीबी, लखनऊ से (मो. नं. 9319101499) पर संपर्क किया जा सकता है।

9. टंकण एवं लिपकीय त्रुटि में सुधार किया जा सकता है।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

भवदीय

(एस. के. गुप्ता)
क्षेत्रीय निदेशक

संलग्नक:

अनुलग्नक I - नियम व शर्त
अनुलग्नक II - बीओक्यू एक्सल शीट वित्तीय निविदा हेतु

प्रतिलिपि :
1. प्रभारी, आईटी डिवीजन, सीपीसीबी, दिल्ली - बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु कृपया
2. कार्यालय प्रति

क्षेत्रीय निदेशक

तकनीकी निविदा (बिड)

प्रभारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा गार्डों की सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसे एजेंसियों से निविदा आमंत्रित करता है, जो पंजीकृत तथा प्राधिकृत होने के साथ-साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू और बड़ी प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में अनुभव और विशेषज्ञता रखते हैं। एक वर्ष की अवधि के बाद इन्हीं नियम और शर्तों के आधार पर आपसी सहमति से निविदा की अवधि अतिरिक्त एक या अधिक वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

1. **कार्य की मात्रा:**

   1. पार्किंग और प्रबोधन केंद्रों अर्थात विकास खंड, लखनऊ एंड (5 एमएलडी एसटीपी) लाइफोलाइजर प्लांट, जाजमऊ, कानपुर और परियोजना कार्यालय, 04, धौलपुर हाऊस, एम.जी.रोड़, आगरा और इसके प्रबोधन केंद्रों अर्थात नुनहई, रामबाग, एतमाद्दौला, आगरा सहित क्षेत्रीय निदेशालय, पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में सुरक्षा गार्डों को तैनात करके सुरक्षा प्रदान करना। एजेंसी आठ-आठ घंटों की तीन शिफ्टों अर्थात चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्डों को तैनात करके सीपीसीबी संपत्ति, कर्मचारियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

   2. निविदा जमा करने के लिए अनुदेश अनुपालन हेतु नीचे निर्धारित किए गए हैं:-

      (क) निविदाकार के बारे में जानकारी: - निविदाकार को परिशिष्ट-। में मांगी गई जानकारी के संबंध में पूर्ण, संक्षिप्त और सटीक विवरण प्रस्तुत करना होगा।

      (ख) निविदाओं पर हस्ताक्षर: निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि वह किसी फर्म के एकल मालिक या एक लिमिटेड कंपनी के सचिव/प्रबंधक/प्रबंध निदेशक, आदि हैं।

3. **बयाना राशि: (ईएमडी)**

   प्रत्येक निविदा के साथ रू. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की बयाना राशि प्रतिष्ठित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में देय होनी चाहिए। बोली के साथ बयाना राशि नहीं होने पर बोली को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।

यदि निविदाकार अपनी निविदा जमा करने के बाद प्रस्ताव एवं निविदा से संबंधित किसी भी नियमों और शर्तों में परिवर्तन करता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। निविदा के सफल होने पर आवश्यक सिक्योरिटी राशि जमा कराने में असफल होने की स्थिति में भी निविदाकार की बयाना राशि जब्त की जा सकती है। इसके अलावा, निर्धारित समय और तारीख से काम शुरू न करने पर भी बिना किसी अन्य अधिकारों और उपायों के एजेंसी की बयाना राशि जब्त की जा सकती है। सभी असफल निविदाकारों की बयाना राशि बिना किसी ब्याज के यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी तथा सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि सुरक्षा राशि में समायोजित कर ली जायेगी। किसी भी स्थिति में बयाना राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. **सिक्योरिटी डिपॉजिट/ सुरक्षा राशि :**

सफल निविदाकर्ता को उसकी निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर रू. 40,000/-(रुपये चालीस हजार मात्र) सुरक्षा राशि का डी.डी./बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा ।

5. **तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:**

निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी है: -

दस्तावेज़ -I	सुरक्षा सेवा एजेंसी चलाने के लिए वैध लाइसेंस। श्रम आर एंड ए अधिनियम के विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत और अपेक्षित पंजीकरण प्रमाण-पत्र। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, ईएसआईसी आदि
दस्तावेज़-II	बोलीदाता को सफलतापूर्वक पिछले तीन वर्ष में किसी भी सरकारी विभागों/उपक्रमों के साथ न्यूनतम 2 (दो) वर्ष की अवधि के अनुबंध में समान प्रकार के कार्य को क्रियान्वित करने का अनुभव होना चाहिए था और सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए पिछले पांच सालों से प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ निरंतर अनुबंध को क्रियान्वित / संचालित कर रहा हो दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
दस्तावेज़-III	ठेकेदार के सुरक्षा कर्मियों के संबंध में पुलिस सत्यापन अद्यतन प्रमाण पत्र। जिसका नाम पीएफ / ईएसआई रिटर्न में दिखाई देता है।
दस्तावेज़-IV	पॉवर ऑफ अटॉर्नी की अनुप्रमाणित प्रतियां
दस्तावेज़-V	फर्म के आयकर का पैन नंबर।
दस्तावेज़-VI	समझौता ज्ञापन और संस्था के नियमों की अनुप्रमाणित प्रतियां, जो भी आवश्यक हो।

दस्तावेज़-VII	सभी भागीदारों / निदेशकों / मालिकों के नाम और पते।
दस्तावेज़-VIII	ईएसआईसी / ईपीएफ पंजीकरण संख्या और पीएफ / ईएसआईसी रिटर्न की प्रतिलिपि।
दस्तावेज़-IX	बैंकर्स का नाम, पिछले तीन साल की आयकर रिटर्न की प्रतियां ।
दस्तावेज़ -X	बयाना राशि जमा।
दस्तावेज़ - XI	एनआईटी, निविदा दस्तावेज, इसकी सभी सूचियों तथा परिशिष्टों में वर्णित दस्तावेज़।
दस्तावेज़ -XII	जीएसटी टैक्स पंजीकरण संख्या और पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
दस्तावेज़-XIII	फर्म PASARA (निजी सुरक्षा विनियमन अधिनियम) के साथ पंजीकरण होना चाहिए (प्रति संलग्न करें)
दस्तावेज़- XIV	फर्म का वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रूपये से कम नहीं होना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए।
दस्तावेज़ -XV	फर्म ने कम से कम 03 सरकारी संगठनों के साथ काम किया हो। इस के लिए करार / अधिनिर्णय का प्रति संलग्न होनी चाहिए।
दस्तावेज़ -XVI	फर्म किसी भी सरकारी विभागों की काली सूची में नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में एक शपथ पत्र संलग्न किया जाय।
दस्तावेज़ -XVII	फर्म सिक्युरिटी सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से प्रशिक्षण लेने के लिए संबद्ध होना चाहिए या ऐसी किसी फर्म से गार्डों का प्रशिक्षण होना चाहिए

निविदाकार को उपरोक्त निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या, हस्ताक्षर और मुहर लगानी होगी तथा क्रमबद्ध तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा।

निविदाकार को निविदा दस्तावेज स्पष्ट, साफ तथा ठीक से भरना होगा। निविदा दस्तावेज पर कोई भी काट-छांट या इरेजर या ओवर-राइटिंग होने से निविदा को अवैध माना जाएगा। यदि कोई काट-छांट जरूरी हो, तो वह निविदाकार के पूर्ण हस्ताक्षर के साथ अनुप्रमाणित होनी चाहिए।

(6) निविदा खुलना

निविदा उपर्युक्त तारीख तथा समय पर सी.पी.सी.बी., लखनऊ के भू-तल में स्थित सम्मेलन कक्ष में खोली जाएगी। निविदा खुलने के समय निविदाकार स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

वित्तीय बोली सिर्फ उन्हीं निविदाकर्ताओं की खोली जाएगी, जिनकी तकनीकी बोली सफल पाई जाएगी।

यदि एक से अधिक बोलीदाताओं की बोली न्यूनतम(L 1) पाई जाती है तो कार्य अनुभव की गुणवत्ता, संचालन में वर्षों की संख्या या किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उपक्रम/संगठन के कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जैसे अन्य साख-पत्रों के आधार पर सी.पी.सी.बी. न्यूनतम बोलीदाताओं में से किसी भी बोलीदाता को चुनने का अधिकार रखता है।

(7) भ्रष्ट आचरण :-

सी.पी.सी.बी. के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निविदाकार या उसकी तरफ से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की घूस, कमीशन देने के प्रस्ताव या वादे की स्थिति में निविदा को अवैध माना जाएगा।

(8) साक्षात्कार तथा निविदा की स्वीकृति

यदि प्रभारी या सी.पी.सी.बी. की तरफ से किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार को साक्षात्कार के लिए या मुलाकात के लिए बुलाया जाता है तो निविदाकार को अपने खर्चे पर हाजिर होना होगा। सी.पी.सी.बी. को बिना कारण बताये किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है और सी.पी.सी.बी न्यूनतम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। सफल निविदाकर्ता को उसकी निविदा स्वीकृति की औपचारिक सूचना पत्र/फैक्स द्वारा दे दी जाएगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

भवदीय,

(एस.के.गुप्ता)
क्षेत्रीय निदेशक, लखनऊ

सुरक्षा सेवाओं के लिए निविदा पर लागू नियम और शर्तें:

(i) उप-पट्टेदारी

सी.पी.सी.बी. की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना ठेकेदार इस ठेके या इसके किसी भाग को उप-पट्टे पर हस्तांतरित या सौंप नहीं सकता। यदि ठेकेदार सी.पी.सी.बी. की इस शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उसका ठेका समाप्त कर दिया जाएगा और ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर प्रदान की गई शेष वस्तुओं को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा और सी.पी.सी.बी. इस प्रकार के नुकसानों और क्षतियों की पूर्ति ठेकेदार से करेगा।

(ii) कर्मियों की जिम्मेदारी

ठेकेदारों द्वारा तैनात किए गए सभी व्यक्तियों को ठेका श्रम (आर एंड आर) ठेका अधिनियम, 1970, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम और श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत सभी संदर्भ में और सभी जिम्मेदारियों/बाध्यताओं के अधीन अपने स्वयं के कर्मचारियों के रूप में नियोजित किए जाएंगे और इसके अलावा अन्य सभी वैधानिक नियम ठेकेदार पर लागू होंगे।

(क) उक्त कर्मियों द्वारा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, ई.पी.एफ. अधिनियम, ई.एस.आई. अधिनियम या किसी अन्य विधान/प्रावधान के संदर्भ में सी.पी.सी.बी. के विरूद्ध सभी प्रकार के दावों या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के कारण किसी भी नुकसान, पेनाल्टी, क्षतिपूर्ति, ब्याज, जुर्माने के भुगतान का हर्जाना ठेकेदार द्वारा सी.पी.सी.बी. को दिया जाएगा। सुरक्षा गार्डों के लिए परिवार उपचार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार को सहयोग करना होगा।

(ख) ठेकेदारों को ठेके की संपूर्ण अवधि के दौरान तैनात सुरक्षा गार्डों को कार्य की समय दर आधार या दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं करना होगा। समय दर या दैनिक आधार पर कार्य की दर दोनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य अधिकृत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों और समय-समय पर संशोधित दरों से है। ठेकेदार को भविष्य निधि अधिनियम, **1995** और उसके अंतर्गत बनी योजनाओं तथा नियमों के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकरण को अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए आवधिक रिटर्न नियमित रूप से जमा कराने होंगे तथा इस प्रकार के सभी रिकॉर्ड भी रखने होंगे। ठेकेदार को इस प्रकार की सभी रिटर्न/रिकॉर्ड सी.पी.सी.बी. द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच के लिए उपलब्ध कराने होंगे।

(ग) **साप्ताहिक अवकाश:**

ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित कर्मियों को संबंधित केन्द्रीय कानूनों द्वारा प्रशासित रोजगार के तहत वेतन और अवकाश आदि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा:

1. जिस सुरक्षा गार्ड से पूरे महीने काम कराया गया है उसे चार/पांच छुट्टी के रूपयों का कार्यमुक्त प्रभार (Relieving Charges) भी भुगतान किया जाएगा क्योंकि न्यूनतम मजदूरी 26 कार्य दिवसों के लिए ही मिलती है और इसमें चार/पांच छुट्टियां स्वीकृत होती हैं।

2. यदि सुरक्षा गार्ड को सुरक्षा के अलावा किसी अन्य काम में लगाया हुआ है और यदि वह माह में चार या अधिक दिन का अवकाश ले रहा है, तो उसे रिलीविंग चार्ज नहीं मिलेगा।

3. एजेंसी को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाएगा कि कोई भी सुरक्षा गार्ड एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम न करे।

(घ). **धुलाई सुविधा:**

ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों या अन्य लागू कानूनों के अधीन धुलाई सुविधा उपलब्ध कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

(ङ) **प्राथमिक चिकित्सा सुविधा:**

ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों या अन्य लागू कानूनों के अधीन प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

(III). **ठेके की अवधि:**

सभी उद्देश्यों के लिए ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी जिसे श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी एवं शर्तों पर आपसी सहमति से एक वर्ष या अधिक वर्षों या इस कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख तक बढ़ाया जा सकता है। कार्य संतोषजनक न होने पर सीपीसीबी के क्षेत्रीय निदेशक, लखनऊ 30 दिनों का नोटिस देकर अनुबंध को निरस्त कर सकते हैं। अनुबंध के इस कारण से निरस्त होनेपर एजेंसी किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगी। इस खंड के अधीन सीपीसीबी के क्षेत्रीय

निदेशक, लखनऊ का निर्णय ही अंतिम तथा ठेकेदारों पर कानूनी रूप से बाध्य होगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सुरक्षा गार्ड को कानूनी कार्य घंटे अर्थात 8 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा काम नहीं करने दिया जाएगा।

(IV) **ठेके की समाप्ति:**

क. यदि ठेकेदार स्वयं को दिवालिया घोषित कर देते हैं या लेनदारों का ऋण चुकाने के लिए अपनी कंपनी या व्यवसाय को परिसमाप्त या बंद करते हैं या इस ठेके के किसी भी प्रावधान या ठेके को प्रशासित करने वाले किसी भी नियमों या शर्तों का अनुपालन करने मे असफल हो जाते हैं, तो सीपीसीबी अध्यक्ष के पास ठेके के तहत अन्य किसी अधिकारों या उपायों के बिना तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त करने तथा ठेकेदारों के जोखिम तथा लागत पर ठेके की शेष अवधि का काम पूरा कराने का अधिकार सुरक्षित है। इस स्थिति में वे काम पूरा होने के पश्चात किसी भी नुकसान या लागत के लिए ठेकेदार पर दावा करने के लिए स्वतंत्र है।

ख. ठेकेदार की लापरवाही या ठेके के तहत विभिन्न सेवाओं में से किसी भी सेवा के असंतुष्ट कार्य प्रदर्शन जैसी स्थिति के कारण यदि सीपीसीबी को किसी भी प्रकार का नुकसान, क्षति, शुल्क, खर्चे या लागत व्यय करना पड़ता है तो सीपीसीबी को बिना किसी अन्य अधिकारों या उपायों के तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त करने और ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर ठेके की शेष अवधि का काम पूरा कराने का अधिकार होगा।

ग. क्षेत्रीय निदेशक, लखनऊ या उनकी तरफ से कार्य करने वाले किसी अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में ठेके के तहत पर्याप्त तथा उपयुक्त सुरक्षा कर्मियों/गार्डों की आपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार अपेक्षित संख्या में सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति कराने में असफल होता है, तो क्षेत्रीय निदेशालय- लखनऊ के प्रभारी के पास ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर एवं ठेका समाप्त किए बिना, सुरक्षा कर्मियों को रखने की स्वतंत्रता होगी और इस स्थिति में ठेकेदार ही सभी प्रकार के अतिरिक्त प्रभारों, खर्चों तथा ठेकेदार की वजह से सीपीसीबी के नुकसानों की लागत को वहन करेगा। इसलिए ठेकेदार किसी अन्य पार्टी को काम सौंपने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा। सीपीसीबी अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, जो ठेकेदार पर कानूनी रूप से लागू होगा।

घ. ठेके के करार के अनुसार कार्य पूरा करने में असफलता या ठेके की किसी भी शर्तों का अनुपालन नहीं करना।

ङ. समय-सारणी के अनुसार काम करने या सीपीसीबी के हितों की रक्षा करने में असफलता।

च. ठेकेदार की तरफ से अनुशासनहीनता और अनुपयुक्त पर्यवेक्षण ।

छ. यदि पी.सी.ए.आर.ए. के तहत पंजीकरण या किसी उचित प्राधिकारी से पंजीकरण रद्द या वापिस हो जाता है।

ज. यदि सफल बोलीदाता काम छोड़ देता है।

झ. ठेकेदार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा संपतियों पर किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन में कठिनाई।

ञ. यदि सफल बोलीदाता या उसकी तरफ से नियोजित कोई भी व्यक्ति ठेके से संबंधित किसी भी उद्धेश्य के लिए सी.पी.सी.बी. के किसी भी कर्मचारी को/से किसी भी प्रकार का गिफ्ट, रॉयलटी, कमीशन, परितोषण या अन्य प्रलोभन (नकद या वस्तु में) देता/लेता है।

ट. यदि ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार दिवालिया हो जाता है। ऋणदातों के ऋण चुकाता है या समामेलन या पुनर्निमाण के उद्धेश्य हेतु स्वैच्छिक परिसमापन सहित अनिवार्य या स्वैच्छिक परिसमापन की अनुमति देता है।

ठ. यदि किसी भी कारण से सी.पी.सी.बी. ठेकेदार से काम नहीं कराने का निर्णय करता है तो इस स्थिति में सी.पी.सी.बी. के पास ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रकार ठेका समाप्ति की स्थिति में सफल बोलीदाता को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा।

ड. ठेके की समाप्ति की स्थिति में सफल बोलीदाता को सी.पी.सी.बी. के कार्यालय/परिसर को शांतिपूर्वक खाली करना होगा तथा तैनात कर्मियों को निर्धारित समय में हटाया जाना होगा।

यदि सफल बोलीदाता उपर्युक्त किसी भी दायित्व का अनुपालन करने में असफल होता है तो उपरोक्त कारणों से ठेका समाप्त होने की स्थिति में सी.पी.सी.बी. के पास ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से शेष काम को पूरा करने का अधिकार सुरक्षित है तथा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी राशि को जब्त समझा जाएगा।

(v) **सुरक्षा जमा**

क. ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृति से सात दिनों के भीतर निविदा आमंत्रण के समय निर्धारित सिक्योरिटी पेश करनी होगी जिसको जमा न कराने की स्थिति में ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर ठेका रद्द हो जाएगा तथा ठेके की शर्तों के तहत सी.पी.सी.बी. बयाना राशि भी जब्त कर सकते हैं।

ख. सी.पी.सी.बी. सिक्योरिटी पर किसी भी प्रकार के ब्याज या उसके मूल्यह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

ग. ठेकेदार को ठेके की शर्तों के तहत उनके द्वारा सभी दायित्वों की पूर्ति तथा सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्धारित समय पर बिना ब्याज के जमा सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी। इसके लिए ठेकेदार को "नो डिमांड सर्टिफिकेट" जमा करना होगा। तथा ठेके की शर्तों के तहत सी.पी.सी.बी. के दावों को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी में से यथावश्यक कटौती/ जब्त भी की जा सकती है ।

घ. ठेके की समाप्ति की स्थिति में सी.पी.सी.बी. के पास ठेकेदार द्वारा जमा की गई पूरी सिक्योरिटी राशि या उसके कुछ भाग को जब्त करने का अधिकार होगा।

ङ. इस प्रकार की क्षतियों, नुकसानों, प्रभारों, लागतों या खर्चों के संदर्भ में सी.पी.सी.बी. का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदारों पर कानूनी रूप से लागू होगा।

च. यदि सिक्योरिटी राशि अपर्याप्त होती है या पूरी जब्त कर ली जाती है तो वसूली योग्य कुल शेष राशि, जो भी हो, उसके बाद किसी देय राशि या इसके कुछ समय बाद इसका सी.पी.सी.बी. के साथ किसी अन्य ठेके में देय राशि में से वसूली जाएगी और इस स्थिति में भी पर्याप्त तथा पूरी राशि वसूली जाएगी तथा ठेकेदार को सी.पी.सी.बी. की मांग पर शेष देय राशि जमा करानी होगी।

छ. जब कभी भी सिक्योरिटी निर्दिष्ट राशि से कम पड़ती है तो ठेकेदार को कमी को पूरा करना होगा जिससे कि सिक्योरिटी की कुल राशि निर्दिष्ट राशि से किसी समय कम नहीं होनी चाहिए।

(VI) **बही-खाता परीक्षण**

जब कभी भी किसी प्रकार की लागत या लेखा-बही, पर्चियां, रसीद, पत्र, ज्ञापन या इस प्रकार के दस्तावेज का कोई भी रूप और वैधानिक अनुपालन/ई.पी.एफ. को किया गया भुगतान/न्यूनतम मजदूरी आदि नवीनीकृत लाइसेंस या सी.पी.सी.बी. क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ के प्रभारी या उनकी तरफ से काम करने वाले किसी भी अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेज आवश्यकतानुसार समय-समय पर उपलब्ध कराने होंगे।

(VII) **भुगतान**

(क) ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों के संदर्भ में इस ठेके के अधीन सूचक वैधानिक भुगतान निम्नानुसार होंगे।

(1) न्यूनतम मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कुशल/अकुशल श्रेणी के तहत स्वीकार्य होगी)

(2) ई.एस.आई.सी.

(3) रिलीविंग चार्ज

(4) जीएसटी

(5) अन्य वैधानिक प्रकार यदि कोई हो

वैधानिक भुगतान की उपर्युक्त सूची सिर्फ सूचनात्मक है न कि परिपूर्ण और ठेकेदार को ठेके के लिए स्वीकार्य सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और सभी आवश्यक वैधानिक भुगतान करने होंगे। इस प्रकार के वैधानिक भुगतान/रिटर्न का सबूत दिखाकर कंपनी/उक्त को ठेके की शर्त के अधीन जारी कर सकती है।

(ख) सी.पी.सी.बी. द्वारा सुरक्षा गार्डों की वेतन का भुगतान संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित उपस्थिति/हाजिरी की प्रतिलिपि के प्रस्तुतीकरण पर ही होगा और मासिक रिटर्न के साथ ई.पी.एफ./ई.एस.आई. तथा सी.पी.सी.बी. में नियोजित कर्मियों के संदर्भ में अन्य वैधानिक भुगतानों के भुगतान का सबूत प्रत्येक बिल के साथ लगाने पर ही होगा ।

(ग) ठेकेदार को अपने सभी बिल हर महीने की 07 तारीख तक जमा कराने होंगे। जिनका भुगतान ठेकेदार को पीएफएमएस के माध्यम से ही किया जाएगा।

(घ) कंपनी सी.पी.सी.बी. में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भुगतान सुरक्षा कर्मी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है।

(VIII) ठेके पर लागू कानून/विवाद निपटान:-

ठेके पर भारत के कानून लागू होंगे और इस ठेके से उभरने वाले सभी विवादों को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय कानून द्वारा निपटाया जाएगा।

(IX) <u>ठेकेदार के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां</u>

(क) ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ प्रभारी या उनकी तरफ से काम करने वाले किसी अधिकारी द्वारा सौंपी या निर्धारित की गई सेवाओं को पूरा करना होगा और उक्त अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ के प्रभारी या उनकी तरफ से काम करने वाले किसी अधिकारी को सहायक तथा आकस्मिक कर्तव्यों सेवाएं और उक्त अधिकारी द्वारा बताई गई सेवाएं इस ठेके के नियमों तथा शर्तों की अधीन होगी। ठेकेदार को अपने कार्यकलापों में हमेशा जिम्मेदार प्रतिनिधि तथा नियुक्त व्यवसायी जैसा व्यवहार करना होगा।

(ख) ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ में सक्षम स्टाफ तथा सुरक्षा गार्डों की तैनाती करनी होगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा तथा ठेकेदार या उसके कर्मियों या एजेंटों या प्रतिनिधियों के गलत व्यवहार, लापरवाही या अकुशलता के कारण सी.पी.सी.बी. को होने वाली हानियों नुकसानों की प्रतिपूर्ति करनी हो। क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ के प्रभारी को ठेकेदार के किसी भी इसे कर्मचारी को हटाने के लिए कहने का अधिकार होगा जो क्षेत्रीय निदेशक की नजर में कार्य के तीव्र निष्पादन में बाधा डाल रहा होगा तथा ठेकेदारों उसके नौकरों और प्रतिनिधि के एजेंट की लापरवाही तथा व्यवहार आदि के कारण नुकसानों के बारे में क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार पर कानूनी रूप से लागू होगा।

(ग) ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ के प्रभारी और उनकी तरफ से काम करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों को दैनिक कार्य के लिए अपनी तरफ से किसी एक या अधिक जिम्मेदार प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम बताने होंगे। इस प्रकार के प्रतिनिधियों को क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ के प्रभारी या उनकी तरफ से कार्य करने वाले किसी अधिकारी को प्रगति रिपोर्ट बताने तथा इस संबंध में निर्देश लेने के लिए उनके संपर्क में रहना होगा।

(घ) ठेकेदार को सख्त रूप से कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होगा।

(ङ) ठेकेदार को सत्यापन योग्य प्रमाण उपलब्ध कराना होगा कि सी.पी.सी.बी. में तैनात ठेकेदार के कर्मियों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई. जमा कर दिया गया है। प्रत्येक कर्मी के ई.एस.आई. कार्ड की एक प्रति एक महीने के भीतर सी.पी.सी.बी. में जमा करनी होगी जिसे जमा न करा पाने की स्थिति में कर्मी की वेतन जारी नहीं की जाएगी।

(च) ठेके में प्रवेश के एक महीने की अवधि के भीतर कर्मचारी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगा। यदि कोई कर्मचारी बदल जाता है तो उसका वेतन पुलिस सत्यापान को जमा करने पर ही जारी किया जाएगा ।

(छ) यदि ठेकेदार ठेका मिलने की तारीख से लेकर दो महीनों के भीतर निविदा में निर्दिष्ट नियम व शर्तों और वैधानिक/कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल होता है तो एक महीने का नोटिस देकर ठेका खत्म किया जा सकता है तथा सिक्योरिटी धन राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा और उसके स्थान पर अर्थात किसी नए व्यक्ति को ठेका देने के लिए बैकअप के रूप में दूसरे/तीसरे न्यूनतम बोलीदाता को रखा जायेगा।

अनुलग्नक - क

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ तथा परियोजना कार्यालय, आगरा में सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति करके सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए ठेके के नियम व शर्तें

(1) सुरक्षा एजेंसी को सी.पी.सी.बी. क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ तथा परियोजना कार्यालय, आगरा की संपत्ति, कार्मिक तथा वाहनों तथा सी.पी.सी.बी. के समान की सुरक्षा के लिए एक वर्ष में 365 दिनों में प्रतिदिन 24 घंटे के लिए निम्नानुसारसुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने होंगे।

शिफ्ट	समय		**क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ हेतु सुरक्षा गार्ड**				
		कार्यालय परिसर		विकास खण्ड प्रबोधन केन्द्र	जाजमऊ, कानपुर लाइफोलाइजर प्लांट	पार्किंग	योग
		भूतल	प्रथमतल				
पहली शिफ्ट	प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक	1	1	1	1	1	
दूसरी शिफ्ट	सायं 2 से बजे तक रात्रि 10.00 बजे तक	1	1	1	1	1	15
तीसरी शिफ्ट	रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक	1	1	1	1	1	
शिफ्ट	समय		**परियोजना कार्यालय, आगरा हेतु सुरक्षा गार्ड**				
		कार्यालय परिसर	ननुहई प्रबोधन केन्द्र	रामबाग प्रबोधन केन्द्र	एतमाद्दौला खण्ड प्रबोधन केन्द्र		योग
पहली शिफ्ट	प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक	1	1	1	1		
दूसरी शिफ्ट	सायं 2 से बजे तक रात्रि 10.00 बजे तक	1	1	1	1		12
तीसरी शिफ्ट	रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक	1	1	1	1		

(2) सुरक्षा ठेकेदारों को सी.पी.सी.बी. में सशस्त्र/निहत्थे कर्मी प्रदान करने होंगे तथा सुरक्षा गार्डों को समय-समय पर उचित प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम वेतन नहीं मिलेगा।

(3) ठेकेदार को सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए सभी करों सहित अपने सेवा प्रभार की दर प्रस्तुत करनी होंगी।

(4) यदि न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ती है तो ठेकेदार के सेवा प्रभारों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।

(5) न्यूनतम मजदूरी केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित श्रेणी में अकुशल श्रेणी के अंतर्गत सुरक्षा गार्ड के लिए न्यूनतम दर स्वीकार्य होंगे।

(6) सफल बोलीदाता को श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार सुरक्षा गार्डों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सी.पी.सी.बी. में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सी.पी.सी.बी. के मजदूरी बिल के भुगतान की प्राप्ति का इंतजार किए बना भुगतान किया जाना चाहिए। सफल बोलीदाता को मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा नियम 1984 के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर बैंक खातों के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करना अपेक्षित होगा। सफल बोलीदाता को मासिक बिल के साथ इस प्रकार के भुगतान की बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत करनी होगी। कंपनी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को नकद भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इन अधिनियमों के प्रावधानों तथा निर्देशों का अनुपलान न करने की स्थिति में एजेंसी को सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित आवश्यक क्षतिपूर्ति/पैनाल्टी का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाता को श्रम कानून के अनुसार अनिवार्य रूप से मजदूरी रजिस्टर बनाना होगा तथा अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय इस मजदूरी रजिस्टर की जांच की जा सकती है।

(7) सुरक्षा पर्यवेक्षक सेना/अर्धसेना बल से सेवानिवृत व्यक्ति तथा सुरक्षा गार्ड सामान्य नागरिक होने चाहिए।

(8) सफल बोलीदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक/हाई स्कूल या समतुल्य से कम नहीं होनी चाहिए।

(9) सी.पी.सी.बी. को किसी भी सुरक्षा कर्मी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रखने का अधिकार/बाध्यता नहीं होगी।

(10) सफल बोलीदाता को अपने द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियां के चरित्र संबंधी सभी दस्तावेजों का उचित रिकार्ड रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर सफल बोलीदाता को सत्यापन के लिए उक्त दस्तावेज क्षेत्रीय निदेशक को प्रस्तुत करने

होंगे। यह पूर्व शर्त है कि सुरक्षा कर्मियों को नियोजित करते हुए सफल बोलीदाता को इस बात का उचित ध्यान रखना होगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा कर्मी के रूप में नियोजित न किया जाए। रक्षा सेवाओं से बरखास्त और/या असमाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को भी सुरक्षा के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा तैनात किसी भी सुरक्षा कर्मी के विरूद्ध कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो उस सुरक्षा कर्मी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को कंपनी के कर्मचारियों के रिश्तेदारों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैनात करने से बचना होगा। यद्यपि इस प्रकार की स्थिति होती है तो सफल बोलीदाता के इस प्रकार के कर्मचारियों की सूची क्षेत्रीय निदेशक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(11) सी.पी.सी.बी. की संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सुरक्षा ठेकेदारों द्वारा तैनात किसी भी कर्मी की किसी भी लापरवाही अनदेखी की वजह से कोई भी चोरी, उठाईगिरी, गबन, गलत प्रयोग, स्टॉक/स्टोर की घपलेबाजी या किसी भी कारण से सी.पी.सी.बी. की किसी अन्य संपत्ति को नुकसान की जिम्मेदारी तथा ठेकेदार की होगी तथा सी.पी.सी.बी. क्षेत्रीय निदेशक अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आंकलित नुकसानों की क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।

(12) सुरक्षा गार्डो को यूनीफॉर्म प्रदान करने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

(13) यदि सी.पी.सी.बी. सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दिए गए किसी भी सुरक्षा गार्ड के बदलाव को आवश्यक समझता है तो सी.पी.सी.बी. से लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर ठेकेदार को सुरक्षा गार्ड बदलना होगा।

(14) सुरक्षा, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कर्मियों की कार्य स्थिति, वेतनों तथा आचार से संबंधित किसी भी संदर्भ में सी.पी.सी.बी. जिम्मेदार नहीं होगा। सुरक्षा गार्डो का नियोजक सुरक्षा ठेकेदार होगा और उनकी सेवा के संदर्भ में सी.पी.सी.बी. की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(15) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा गार्ड की सेवा समाप्ति या तैनाती के दौरान कोई भी सुरक्षा गार्ड किसी भी संदर्भ में सी.पी.सी.बी. पर किसी भी प्रकार के दावे का अधिकारी नही होगा। यदि कोई सुरक्षा गार्ड किसी भी कारण से किसी भी न्यायालय में मुकदमेबाजी का सहारा लेता है तो सुरक्षा ठेकेदार अपनी लागत पर न्यायालय के आदेश के लिए उत्तरदायी होगा। सुरक्षा ठेकेदार के कर्मचारियों की वजह से सी.पी.सी.बी. को किसी भी नुकसानों, क्षतियों के खर्चे और सी.पी.सी.बी. के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दावा या अभियोग या किसी भी कार्यवाही की स्थिति

में सी.पी.सी.बी. को सुरक्षा ठेकेदार के लंबित या आगामी बिल में से धनराशि की कटौती करने का अधिकार होगा।

(16) सुरक्षा ठेकेदार के सुरक्षा कर्मी सी.पी.सी.बी. के कर्मचारी संघ/संगठन की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।

(17) सी.पी.सी.बी. को सिर्फ प्रशिक्षित तथा अनुभवी सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति की जानी चाहिए। ठेकेदार द्वारा सी.पी.सी.बी. को सुरक्षा गार्ड कर्मियों की फोटो सहित सामान्य दस्तावेजों की आपूर्ति भी की जानी होगी। तैनात किए गए सुरक्षा गार्डों का चरित्र/पूर्ववर्ती चरित्र सत्यापन ठेकेदार का संबंधित पुलिस प्राधिकरणों से उनकी तैनाती के एक महीने के अंदर अपनी लागत पर सी.पी.सी.बी. के संतुष्टि के लिए ठेकेदार द्वारा ही करानी होगी।

(18) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड कर्मी असामाजिक तत्वों से निपटने में भी सहायता करेंगे तथा सी.पी.सी.बी. कार्यालय में ड्यूटी के समय सी.पी.सी.बी. कर्मचारी/अधिकारियों को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे।

(19) कंपनी द्वारा तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्ड की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक/हाईस्कूल होना अनिवार्य है। सुरक्षा गार्ड को हिन्दी/अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। सुरक्षा गार्डों की शैक्षिक योग्यता के प्रमाण की प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होगी तथा सुरक्षा गार्डों की तैनाती से पहले सी.पी.सी.बी. से सत्यापित कराना जरूरी होगा।

(20) सुरक्षा फर्म द्वारा तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्डों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उनका चरित्र तथा पूर्ववर्ती चरित्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित तथा अनुमोदित होने चाहिए। यदि उनमें से कोई भी सुरक्षा गार्ड ठेके से पहले या ठेके के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करता या चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो सी.पी.सी.बी. को अपने परिसरों में फर्म के इस प्रकार के कर्मचारियों के प्रवेश को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(21) यदि आवश्यक होगा तो, सीपीसीबी सुरक्षा गार्डों को इंटरकोम सुविधा के साथ टेलीफोन उपलब्ध कराएगा। और स्टेशनरी फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(22) फर्म द्वारा तैनात उसके किसी भी कर्मचारी के कारण सी.पी.सी.बी. की किसी भी क्षति (प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर) की पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी।

(23) फर्म को अपने सुरक्षाकर्मियों को सर्दी और गर्मी के सुरक्षा यूनिफार्म अपनी लागत पर प्रदान करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा गार्ड इन यूनिफार्मों को ड्यूटी के समय साफ तथा व्यवस्थित ढंग से पहने।

(24) सुरक्षा फर्म द्वारा अपने सभी सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा उद्धेश्य हेतु सेल सहित टॉर्च, गम बूट, लाठी, सीटी, भारी वस्तु उठाने का यंत्र, बन्दूक आदि प्रकार की अन्य आवश्यक सामग्री अपनी लागत पर उपलब्ध करानी होगी।

(25) सी.पी.सी.बी. के पास सुरक्षा फर्म से कहकर संतोषजनक सुरक्षा ड्यूटी न करने वाले या संदिग्ध चरित्र वाले सुरक्षा गार्ड को हटाने का अधिकार होगा तथा फर्म को तत्काल ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को हटाकर उनकी जगह पर तत्काल उपयुक्त व्यक्ति को लगाना होगा।

(26) सी.पी.सी.बी. सुरक्षा फर्म द्वारा तैनात किसी भी कर्मी के लिए सी.पी.सी.बी. परिसरों या अन्य किसी भी जगह आवासीय सुविधा प्रदान नहीं करेगा तथा फर्म को अपनी लागत पर इसका प्रबंध करना होगा।

(27) फर्म को अपनी लागत पर सभी तैनात सुरक्षा गार्डों/बन्दूकधारियों या स्टाफ को पहचान पत्र प्रदान करने होंगे और फर्म के सभी कर्मियों द्वारा यह पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा।

(28) फर्म द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा गार्डों के ड्यूटी प्वाइंट और ड्यूटी चक्र का निर्णय सी.पी.सी.बी. के क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ तथा परियोजना कार्यालय, आगरा द्वारा किया जाएगा। फर्म की सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बारे में सी.पी.सी.बी. द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

(29) उठाई गिरी या चोरी की स्थिति में फर्म या उसके प्रतिनिधि को मामले की रिपोर्टिंग सी.पी.सी.बी. के क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ को करनी होनी तथा पर्याप्त जांच तथा नुकसान की पूर्ति के लिए यह मामला पुलिस के पास बताया जाना होगा। यदि इस प्रकार का कोई भी नुकसान फर्म द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही अनुपस्थिति या कर्तव्य की उपेक्षा के कारण होता है तो सभी नुकसानों की क्षतिपूर्ति फर्म से ही की जाएगी।

(30) फर्म की सेवाओं के बारे में किसी भी शिकायत की दो चेतावनियों के पश्चात सुनवाई न होने की स्थिति में ठेका खत्म कर दिया जाएगा।

(31) सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी निम्नलिखित होंगी:-

(i) सी.पी.सी.बी. की संपत्ति, कर्मचारी, प्रयोगशाला उपकरणों, वाहनों आदि की 24 घंटे सुरक्षा करना।

(ii) सी.पी.सी.बी. में कार्यरत सभी स्टाफ की अवश्यकतानुसार तलाशी।

(iii) कार्यालय के समय के बाद शौचालयों, लॉबी, कमरों में लाइटों, पंखों आदि को बंद करना

(iv) आगंतुकों को वाहनों की पार्किंग में मार्गदर्शन करना।

(v) सी.पी.सी.बी. के क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ तथा परियोजना कार्यालय, आगरा के भवन के प्रत्येक तल पर आगे पीछे 24 घंटे गश्त लगाना जिससे चोरी रोकी जा सके।

(vi) सभी तलों के कमरों को सुबह खोलना तथा शाम को बंद करना

(vii) असमाजिक तत्वों से भवन संपत्ति/कर्मचारियों की सुरक्षा करना

(viii) मुख्य द्वारों का संचालन अर्थात सुबह 8 बजे खोलना तथा शाम को 06.30 बजे बंद करना।

(ix) किसी भी दुर्घटना की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ और परियोजना कार्यालय, आगरा के प्रभारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करना।

निविदाकार का

(i) पता : ....
टेलीफोन नं. ....
ई-मेल आई डी:

निविदाकार के हस्ताक्षर

परिशिष्ट -I

(1) निविदाकार का नाम और पता तथा टेलीग्राफिक पता ....

....

(2) **कार्य अनुभव**

यदि निविदाकार ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या सार्वजनिक/निजी कंपनियों के सुरक्षा ठेकेदार के रूप में कार्य किया है तो उसका पूरा विवरण दिया जाना चाहिए और इस कार्य की समयावधि का भी पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। निविदाकारों को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि वे केन्द्र या राज्य सरकारों या रेलवे आदि के किसी विभागों की तरफ से ठेकेदारों के रूप में कार्य कर रहे हैं या नहीं तथा पिछले 3 वर्षों के कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना जरूरी है।

(3) **(क) क्या सी.पी.सी.बी. के साथ पहले कोई ठेका किया था (यदि कोई हो तो विवरण दें)**

(ख) क्या सी.पी.सी.बी./किसी पी.एस.यू./राज्य सरकार द्वारा ठेकेदार की बयाना राशि/सुरक्षा राशि को जब्त किया गया था।

(ग) क्या फर्म को भारत सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित किया गया था

नोट:- जिस निविदाकार की बयाना राशि/सुरक्षा जमा को भारत सरकार द्वारा जब्त किया गया था, वह निविदा के लिए स्वीकृत नहीं होगा।

(4) **निविदाकारों के बैंक**

निविदाकार के बैंक का नाम तथा शाखाओं का नाम तथा किसी ऐसे बैंक का नाम दिया जाना भी जरूरी है जो निविदाकार की वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करके अनिवार्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें

(5) **पिछले तीन वर्षों के वित्तीय खाते का विधिवत लेखा-परीक्षित**

(6) **क्रेडिट सीमा का विवरण**

(7) **आयकर पैन नम्बर**

(8) **अचल संपत्तियों का विवरण**

(क) संपत्तियों का प्रकार

(ख) पता के साथ पहचान संख्या

(ग) संपत्तियों के स्वामी का नाम

(9) **प्रतिभागियों/निदेशकों की सूची -**

निविदाकार के हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा (PRICE BID)

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय निदेशालय, पिकप भवन
विभूति खंड, गोमती नगर,
लखनऊ

महोदय,

(1) मैं/हम सी.पी.सी.बी. .... में .... ठेकेदार के रूप में नियुक्ति के लिए मुहरबंद मूल्य बोली प्रस्तुत करता/करते हैं।

(2) मैंने/हमने निविदा आमत्रंण में निविदाकार को दिए गए निर्देश, नियमों तथा शर्तें और निविदा तथा इसके परिशिष्टों में उल्लिखित सामान्य शर्तों को पूरी तरह से पढ़ तथा समझ लिया है और इनके अनुपालन के लिए सहमत हैं ।

(3) मैं/हम एतद्द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समान्य न्यूनतम मजदूरी के आधार पर सर्विस चार्ज के निम्नलिखित प्रतिशत पर सुरक्षा सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव रखता/रखते हैं। यह निविदा प्रदान करने के समय स्वीकार्य दरों पर होगी। मैं/हम वचन देते हैं कि हम ठेके की अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के सिवाय किसी अन्य कारण से दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी के हकदार नहीं होंगे।

<u>वित्तीय निविदा केवल BOQ xls sheet जो CPPP पर अपलोड की गयी है, में दी जानी है।</u>

<u>यह केवल उदाहरणार्थ है।</u>

कार्यालय का नाम	सुरक्षा गार्ड 8 घंटे डयूटी न्यूनतम मजदूरी (प्रति दिन)	सुरक्षा गार्ड 8 घंटे डयूटी न्यूनतम मजदूरी (26 दिन)	ई.पी. एफ.	ई.एस. आई. सी.	सर्विस चार्ज	अन्य शुल्क, यदि कोई हो	कुल देय मजदूरी	जी एस टी	जीएसटी सहित कुल देय मजदूरी
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ									
परियोजना कार्यालय, आगरा									

मैं/ हम 3 महीने तक के लिए यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए खुला रखते हैं।

(4) मैं/हम प्रस्ताव की स्वीकृति निर्धारित समय सीमा में प्रेषित के लिए बाध्य होंगे और मैं/हम इस बात से भी सहमत है कि यदि स्वीकृति की तिथि, जिसमें प्रस्ताव खुला रहेगा, उस तिथि को सीपीसीबी में अवकाश घोषित हो जाता है तो प्रस्ताव अवकाश के अगले दिन तक मान्य होगा। बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में तकनीकी बोली के साथ .... रूपये की राशि संलग्न है। यदि मेरी निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो, मैं/हम निम्नानुसार सुरक्षा राशि जमा कराने के लिए सहमत हैं। (कृपया सिक्योरिटी राशि जमा करने के तरीके का ब्यौरा दें।)

उपर्युक्त सभी दरों के अलावा किसी भी तरीके से प्रस्तुत दरों को तुरंत अस्वीकार किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में ठेकेदार अपने सेवा प्रभारों की बढ़ोत्तरी का हकदार नहीं होगा।

(क) मैं/हम न्यूनतम मजदूरी, ई.एस.आई., पी.एफ. बोनस आदि जैसी वैधानिक जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व लेता हूँ और इनके प्रभार दस्तावेजीय प्रमाण के साथ संबंधित प्राधिकरण के वास्तविक योगदान के अनुसार लिए जाएंगे तथा इन योगदानों पर किसी भी प्रकार के सेवा प्रभार/प्रशासन प्रभार नहीं लगाए जाएंगे।

(ख) मजदूरी की कुल राशि की गणना सी.पी.सी.बी. द्वारा स्वीकृत सुरक्षा गार्ड की मजदूरी के वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर की जाएगी।

(5) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते है कि निविदा तथा परिशिष्टों तथा तकनीकी बोली के साथ संलग्न सभी सूचियां तथा प्रविष्टियां सत्य हैं और यह भी घोषणा करते है कि हम अपने/हमारे विधिवत गठित अर्टोनी के कार्य से बंधे होंगे तथा श्री .... जिनके हस्ताक्षर इस उद्धेश्य के लिए निर्दिष्ट स्थान पर किए गए है मेरे/हमारे द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भविष्य में सी.पी.सी.बी. के क्षेत्रीय निदेशक को सूचना दिए बिना इस निविदा से संबंधित कार्य कर सकता है।

भवदीय,

( )

निविदाकार के हस्ताक्षर